## राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्रदान न किया जाना

*482. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है:

(ख) क्या यह सच है कि देश के किसी भी राज्य में 100 दिनों का रोजगार नहीं दिया गया, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किस-किस प्रकार के कार्य आरंभ किए गए और प्रत्येक प्रकार के कार्य का अनुपात क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्री ( श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ) :** (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है:

### विवरण

(क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,2005 में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहते हैं, प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।

(ख) जी, नहीं। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 2123366 परिवारों ने रोजगार के 100 दिवस पूरे कर लिए हैं। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक मांग आधारित कार्यक्रम है, इसलिए अधिनियम के अंतर्गत दिए गए रोजगार के दिवसों की संख्या कामगारों द्वारा मांगे गए रोजगार के दिवसों की संख्या पर आधारित होती है।

(ग) प्रत्येक प्रकार के कार्य के अनुपात के साथ अधिनियम के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

अधिनियम के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा

| कार्य का प्रकार | कुल कार्य | कुल कार्यों का अनुपात (प्रतिशत में) |
|---|---|---|
| जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण | 257023 | 33.40 |
| पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार | 48548 | 6.3 |
| अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के परिवारों, बीपीएल परिवारों, भूमि सुधारों और आईएवाई के लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी, पौधरोपण और भूमि विकास सुविधाओं का प्रावधान | 80005 | 10.39 |
| लघु सिंचाई कार्य | 26217 | 3.41 |
| सूखा रोधन (वनरोपण और पौधरोपण सहित) | 72546 | 9.42 |
| बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा | 14902 | 1.93 |
| ग्रामीण सड़क संपर्क | 152459 | 19.81 |
| भूमि विकास | 85391 | 11.10 |
| अन्य कार्य | 32385 | 4.21 |
| कुल कार्य | 769476 | |

## 100 days employment not provided under NREGA

†*482. SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a provision for atleast 100 days employment under the National Rural Employment Guarantee Act;

(b) whether it is also a fact that 100 days of employment have not been provided in any State of the country, if so, the reasons therefor; and

(c) the types of works undertaken under this programme, alongwith the proportion of each type of work?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) Yes, Sir. National Rural Employment Guarantee Act, 2005 provides for a legal guarantee for 100 days of wage employment in every financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

(b) No, Sir. As reported by the States so far 2123366 households have completed 100 days of employment. Being a demand-driven programme, number of days of employment provided under the Act depends upon the number of days of employment demanded by the workers.

(c) The details of types of works undertaken under the Act alongwith the proportion of each type of work are given in Statement-I.

**Statement-I**

*The details of various works under taken under the Act*

| Type of work | Total Works | Proportion to the total works in percentage |
|---|---|---|
| Water conservation and water harvesting | 257023 | 33.40 |
| Renovation of traditional water bodies | 48548 | 6.3 |
| Provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities on land owned by households belonging to SC/ST, BPL-families, beneficiary of land reforms and IAY | 80005 | 10.39 |
| Micro-irrigation works | 26217 | 3.41 |
| Drought proofing (Including afforestation and tree plantation) | 72546 | 9.42 |
| Flood control and protection | 14902 | 1.93 |
| Rural connectivity | 152459 | 19.81 |
| Land development | 85391 | 11.10 |
| Other works | 32385 | 4.21 |
| Total Works | 769476 | |

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न के लिखित उत्तर के 'बी' भाग में मंत्री महोदय ने कहा है-"Being a demand-driven programme, number of days of employment provided under the Act depends upon the number of days of employment demanded by the workers". मेरे सामने केन्द्र सरकार की प्रोग्रेस NREGA की एक रिर्पोट है। मैं यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। असम में 11,205 लोगों ने डिमांड किया, पर इम्प्लायमेंट प्रोवाइड हुआ 6,990 लोगों को; हरियाणा में 20,261 लोगों ने डिमांड किया और 15,573 को प्रोवाइड किया गया; कर्नाटक में 1,18,810 लोगों ने डिमांड किया ...(**व्यवधान**)...

**एम माननीय सदस्य:** यह क्या पढ़ रहे हैं, सर? ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** आप पढ़िए मत। क्वैश्चन करिए।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह आपके यहाँ की दी हुई रिपोर्ट है। आपने जो प्रश्न के उत्तर में कहा है—मैं एक दूसरी रिपोर्ट और बताना चाहता हूँ जो सवाल के जवाब में यहाँ कहा गया कि आंध्र प्रदेश में जो उपलब्ध कराया गया रोज़गार है, उसमें प्रति परिवार दिनों की औसत संख्या 28.6 है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** ठीक है, ठीक है। वह सब छोड़िए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** अरुणाचल प्रदेश में 26.78 है। मैं आपके माध्यम से यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराने की चर्चा प्रश्न के उत्तर में आपने दी है, मेरी समझ में एक एप्लिकेशन इनवाइट की जाती है, जॉब कार्ड दिया जाता है और जॉब कार्ड की हालत यह है। इसीलिए मैं आपसे यह स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कृपया माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने लोगों ने आवेदन पत्र दिए थे, उन सब को जॉब कार्ड जारी किए गए? उनमें से कितनों ने रोज़गार मांगे तथा उन सब को पूरे 100 दिनों को रोजगार दिया गया तथा जिन्हें रोज़गार दिया गया उन्हें न्यूनतम मजदूरी क्या दी जा रही है?

**श्री सभापति:** ठीक है, ठीक है।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** सभापति महोदय, कानून में ही प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति रोजगार चाहेंगे, वे अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके लिए पंचायत में मुखिया के पास, वहां के सरपंच के पास या उनके सचिव के पास रजिस्टर रखा रहता है। उसके बाद उनको जॉब-कार्ड मिलता है। यह जॉब-कार्ड योग्य लोगों को ही मिलता है। मान लीजिए कोई 10 वर्ष का लड़का लिख देगा, तो उसको जॉब-कार्ड नहीं मिलेगा। जो 18 वर्ष के हैं, फिजिकल लेबर करना चाहते हैं, उनका

रजिस्ट्रेशन है, तो सभी को नही मिल पायेगा, जो योग्य व्यक्ति पाए जाएंगे, उन्हीं को मिल पाएगा। फिर जब जॉब-कार्ड उनको मिल जाएगा, उसके बाद फिर वे काम के लिए आवेदन करेंगे कि हम तुरंत काम करना चाहते हैं, तो 15 दिनों के अंदर उनको काम मिलना है और अगर काम नहीं मिलना है तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना है। यह प्रावधान है और यह प्रावधान देश के 200 जिलों में, अब फिर 130 बढ़ाए गए हैं, जो 330 अब हो रहे हैं, जिनमें 87 हजार पंचायतें हैं, जहां 2 करोड़ 10 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। माननीय सदस्य की चिंता है कि जॉब-कार्ड ज्यादा इश्यू हो जाते हैं, लेकिन वे सभी काम करने के लिए आवेदन नहीं देते, इसलिए यह कन्फ्यूजन है कि कोई आदमी काम मांग रहा है, उनको काम नहीं मिलता या नहीं मिल रहा है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** सर, मैंने यह रिपोर्ट दी है डिमांड वालों की। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** आप बीच में मत बोलिए। आपको फिर दूसरा मौका है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, जो प्रश्न मूल था, इनको आशंका था कि सौ दिनों का रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा, वह एकदम गलत है। राजस्थान में ही लोगों को सौ दिन से ज्यादा मिल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** राजस्थान तो अच्छा प्रदेश है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** आप खड़े क्यों हो रहे हैं? मंत्री जी को बोलने तो दीजिए।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** सर, अच्छा है, खराब है, वह हम सवाल-जवाब नहीं कर रहे हैं। मैं तो यह कहता हूँ, महोदय, कि यह जहां से आते हैं, वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी माननीय सदस्य को नहीं है। यह मेरी चिंता बढ़ा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** कमाल कर रहे हैं आप। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस० एस० अहलुवालिया:** यह असम के बारे में पूछ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** महोदय, इसीलिए हमें तब खुशी होगी, जब हम लिखा-पढ़ी में स्टेट्स से प्रतिवेदन मंगवा कर माननीय सदस्यों को जानकारी देंगे। मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि माननीय सदस्य सर-जमीं की जानकारी हमको दें कि वहां क्या हो रहा है, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** ठीक है, ठीक है।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** इसीलिए अच्छा हो कि वहां की सर-जमीं की बात उठाएं, जिससे गरीबों को लाभ होगा, देश को, प्रदेश को, सबको लाभ होगा। लेकिन, यहां दिल्ली के वातावरण में पैसे ज्यादा नहीं पहुंचते, पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं, यह क्या है?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** यह पन्द्रह पैसे की बात आपने ही कही है।

**श्री सभापति:** अब हो गया, काफी हो गया।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** महोदय, हमारे पास आंकड़ा राज्यवार है, जहां लोग काम मांग रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। डिमांड का जरूर है, महोदय। मान लीजिए, कहीं-कहीं लीन पीरिएड में ही मजदूर काम मांगते हैं, खेत में काम करने जाएंगे, लेकिन खेती को भी बर्बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक हिन्दुस्तान में मैकेनिकल खेती नहीं हुई, इसलिए मजदूरों की खेती में भी जरूरत है। जहां खेती कम है, उसमें रोजगार की गुंजाइश नहीं है, वहां उन जिलों में, बल्कि हरेक राज्य में सौ दिनों का रोजगार उन जिलों में मिला है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** सभापति महोदय, मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ। पहले प्रश्न से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ।

**श्री सभापति:** आप क्वैश्चन कर लीजिए। संतुष्ट हैं, नहीं हैं, वह दूसरी बात है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** सभापति महोदय, मजदूर और सामग्री के लिए 60 और 40 के अनुपात में जो आप दे रहे हैं, उसमें क्या स्थाई निर्माण संभव है? यह जो आपने उद्देश्य बनाया है। दूसरा, क्या 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के कार्य-स्थल पर जो पेय-जल है, छाया है, फर्स्ट एड है, इसकी व्यवस्था संभव हो सकती है? और, क्या राज्य सरकारों ने इसको 12 परसेंट करने के लिए आपसे कहा है? आप उस संबंध में क्या कर रहे हैं?

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)...

**वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):** पांडिचेरी का इसमें नहीं है। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I want to put a question about the whole country. He is a Central Minister and he knows it perfectly well...(*Interruptions*)...

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** सभापति महोदय, कानून में प्रावधान है कि जो राशि खर्च होनी चाहिए, उसमें 60 फीसदी मजदूरी पर और 40 फीसदी मैटेरियल कंपोनेंट पर होनी चाहिए। इसी से यह संदेह दूर हो जाना चाहिए कि जब 40 परसेंट मैटरियल पर खर्च होना है, तो इसका मतलब यह छड़, सीमेंट, ईंट आदि सामान पर ही खर्चा होना है। जिसकी परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए जरूरत है। तो यह परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए ही 40 प्रतिशत का प्रावधान है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, लेकिन यह जिला यूनिट है। एक जिला में 60 फीसदी, वहां के जो प्रोग्राम अफसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हमारा यह निदेश है कि आप जिला भर में एवरेज देखें

कि कम से कम 60 फीसदी मजदूरी पर खर्च हो और 40 फीसदी मैटीरियल कम्पोनेंट पर खर्च हो। इसलिए माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में ही हमने परसैंटेजवाइज़ उत्तर दिया कि किस योजना का, जो स्कीम बनी है, उसका क्या परसैंटेज है। जैसे जल संरक्षण, जल एकत्रिकरण आदि इन सभी में पक्का स्ट्रक्चर लिया जाए। ऐसे ही चैक डेम, चैक डेम बिना पक्का स्ट्रक्चर के कैसे होगा। तो इन सभी की सूचनाएं दी गई हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि पक्का स्ट्रक्चर...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** ठीक है, बैठिए। श्री वी॰ नारायणसामी। ...(**व्यवधान**)...

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** मैंने पूछा कि प्रशासनिक में क्या किया था? प्रशासनिक में क्या किया, प्रशासनिक व्यय के बारे में?

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** सुनिए, प्रशासनिक व्यय ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** श्री वी॰ नारायणसामी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, (*Interruptions*)

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** सर, दूसरा प्रश्न जो इन्होंने किया, वह महत्वपूर्ण है। ...(**व्यवधान**)... पीने के पानी को मुहैया ..(**व्यवधान**).. इसकी व्यवस्था करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** श्री वी॰ नारायणसामी। ...(व्यवधान)... आप लोग डिस्टर्ब मत करिए। ...(व्यवधान)... Please do not disturb ...(*interruptions*)...

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** दूसरे प्रश्न का जवाब दें मंत्री जी, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... धूप में बिना पानी के मर रहे हैं लोग। ...(**व्यवधान**)... लोग धूप में बिना पानी के मर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप यह बताइए कि आपने केवल 6 परसैंट की व्यवस्था रखी है, राज्यों ने 12 परसैंट के लिए कहा है, इसका जवाब मंत्री जी क्यों नहीं देते? ...(**व्यवधान**)... इसका जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने, वे इसका जवाब तो दें। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** इसका जवाब अगर नहीं दिया है तो आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। श्री वी॰ नारायणसामी। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** मंत्री जी इसका जवाब तो दें। ...(**व्यवधान**)... इसका तो जवाब दें। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** अब आप लोग झगड़ा मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** मंत्री जी जवाब देना चाहे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री विक्रम वर्मा:** वे जवाब देना चाह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** वे जवाब देना चाह रहे हैं, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** सर, मंत्री जी अगर ...(**व्यवधान**)...

**प्रो॰ राम देव भंडारी:** सर, आपने एक सदस्य को क्वेश्चन करने के लिए बुलाया है। ...(**व्यवधान**)... ये लोग कार्यवाही में अवरोध पैदा कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** आप यह मत करिए, क्वेश्चंस बहुत हैं। ...(**व्यवधान**)... श्री वी॰ नारायणसामी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister is saying...(*Interruptions*)...

**श्री सभापति:** नारायणसामी जी को बोलने दीजिए। ..(**व्यवधान**).. Please do not disturb. (*Interruptions*) Nothing will go on record. (*Interruptions*) मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)... आप क्वेश्चंस पूछने दीजिए। आपके एक मैम्बर का ही क्वेश्चन है। ...(**व्यवधान**)... मैं अलाऊ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं अलाऊ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** *

**श्री सभापति:** आप एक क्वेश्चन के लिए सारे क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं। ..(**व्यवधान**).. एक क्वेश्चन आप दौबारा पूछ लीजिए। Half an hour discussion के लिए दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... बोलिए नाराणसामी जी। ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** *

**प्रो॰ राम देव भंडारी:** *

**श्री विजय कुमार रूपाणी:** *

**श्री सभापति:** आप क्वेश्चन नहीं करने देंगे इनको। ...(**व्यवधान**)... यह ठीक है क्या? ...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** *

**श्रीमती वृंदा कारत:** *

*Not recorded.

प्रो॰ राम देव भंडारी: *

श्री सभापति: माननीय सदस्य बैठिए। ...(व्यवधान)... आप क्यों खड़े हो गए हैं, बैठ जाइए। ...(व्यवधान).. बोलिए मिस्टर वी॰ नारायणसामी। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: *

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इन्हें क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: *

श्री सभापति: एक क्वेश्चन में आप सारे क्वेश्चंस चाहते हैं। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... बोलिए नारायणसामी जी। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister is saying ...(*Interruptions)*...

श्री सभापति: इन्हें क्वेश्चन करने दीजिए। प्लीज़। ...(व्यवधान)... एक क्वेश्चन में आप सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं। ...(व्यवधान).. वे जवाब दे देंगे। ...(व्यवधान)... कृपा करके आप बैठ जाइए। ...(व्यत्रधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: *

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

श्री सभापति: एक मिनट, बैठिए तो सही। ...(व्यवधान)... मंत्री जी, आप नारायणसामी जी के प्रश्न का जवाब देते वक्त इनके प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

श्री सभापति: इस तरह से जवाब नहीं आएगा। ...(व्यवधान)... मैं जानता हूं कि गरीब क्या है ...(व्यवधान)... आप उनको क्वेश्चन करने दीजिए ...(व्यवधान) Nothing will go on record ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there are complaints ...(*interruptions*)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

श्री सभापति: आप उनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)... क्या यह कोई तमाशा है, आप ज़बरदस्ती

*Not recorded.

बोले जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... वह सब कुछ होगा, कृपया आप स्थान ग्रहण करें और दूसरे क्वेश्चन को सुनने दें ...(व्यवधान)... nothing will go on record ...(*interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, ...(*interruptions*)...

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** *

**श्री सभापति:** आप उन्हें जवाब तो देने दीजिए ...(व्यवधान)... मंत्री जी, आप जवाब दीजिए, उनका जवाब भी दे दीजिए ...(व्यवधान) आप बैठिए तो सही ...(व्यवधान)... Nothing will go on record ...(*Interruptions*)... अब आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** *

**श्री रुद्रनारायण पाणि:** *

**श्री सभापति:** आप बैठ जाइए, वह जवाब दे देंगे ...(व्यवधान)... आप बैठिए, मैं जवाब दिलवाऊंगा ...(व्यवधान)... आप बैठिए तो सही, मैं जवाब दिलवाऊंगा, बस आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... कृपया आप बैठिए ...(व्यवधान)... मैं उनसे जवाब दिलवा रहा हूं, आप बैठिए तो सही ...(व्यवधान)... मंत्री जी, आप बोलिए ...(व्यवधान)... अब आप सब बैठ जाइए, उनको जवाब देने दीजिए, वह इनका जवाब भी दे देंगे और उनका भी दे देंगे ...(व्यवधान)... Please take your seats ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record ...(*Interruptions*)...

**प्रो॰ राम देव भंडारी:** *

**श्री संतोष बागड़ोदिया:** सर, यह कोई बात है, यह तो ** है।

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** सर, यह क्या बोल रहे हैं, यह ** शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ...(व्यवधान)... यह कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ...(व्यवधान)... यह अपने शब्द वापस लें ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति:** क्या आपने यह ** शब्द बोला है ...(व्यवधान)... Expunged, Expunged, Expunged (*Interruptions*) मंत्री जी बोलिए ...(व्यवधान)... आप बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान) मैंने वह शब्द Expunge कर दिया है, अब आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए ...(व्यवधान)... अब वह जवाब देंगे, आप सुन लीजिए ...(व्यवधान)...

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** आप जवाब सुनिए तो सही, आप जवाब सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...

*Not recorded.

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी:** *

**श्री एस० एस० अहलुवालिया:** *

**श्री सभापति:** अहलुवालिया जी, आप बैठ जाइए, जवाब दिलवा देंगे ...(**व्यवधान**) आप सुनिए तो सही ...(**व्यवधान**) Mr. Please take your seats ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. (*Interruptions*) मंत्री जी, आप बोलिए।

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** सभापति महोदय, प्रशासनिक खर्च दो प्रतिशत था। राज्यों की मांग के आधार पर तुरंत विचार किया गया और उसमें दो से चार प्रतिशत वृद्धि कर दी गई, प्रशासनिक खर्चा बढ़ा दिया गया।

महोदय, अब जो सवाल उठा है कि जहां पर काम होता हैं, वहां पर छाया एवं पीने के पानी की व्यवस्था हो, तो वहां पर जो अतिरिक्त मज़दूर रखे जाएंगे अथवा बच्चों को खिलाने के लिए महिलाओं की व्यवस्था होगी, वहां पर उसी में से मज़दूरी देने का प्रावधान है और उसमें कोई कमी नहीं होगी। हम अपेक्षा करते हैं कि आप सरज़मीन को जा कर देखिए। जहां पर मज़दूर काम करते हैं, वहां पीने के पानी का, छाया का और सभी चीज़ों का प्रावधान है। पैसे की कोई कमी नहीं है, हर जगह इन वस्तुओं की समुचित व्यवस्था है।

MR. CHAIRMAN: Next Question. ...(*Interruptions*)... Question No. 483. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: They are doing so much publicity. ...(*Interruptions*)... But corruption is rampant. ...(*Interruptions*)...

**श्री सभापति:** उन्होंने आपका जवाब दे दिया है ...(**व्यवधान**)...

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** एम०आई०एस० स्कीम में चार राज्यों ने काम पूरा कर लिया है। महोदय, जो मेनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम है हर एक स्कीम का, माननीय सदस्य अपने इंटरनेट पर उसकी वेबसाइड पर देख सकते हैं मस्टरोल, गोया काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। महोदय, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में काम बाकी है, जो कुछ महीनों में मैं पूरा कर लूंगा। उस दिन मैं देश को बता सकूंगा कि इसमें भ्रष्टाचार और हेराफेरी की कोई गुंजायश नहीं है। जांच verifiable है, महोदय। इसलिए माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि एम०आई०एस० स्कीम का जो डाटा उपलब्ध है वेबसाइड पर, कृपया करके अपने कम्प्यूटर और इंटरनेट का भी उपयोग करें।...(**व्यवधान**) श्री नारायणसामी जी ने जो नाम का सवाल उठाया, वह सही में हमको शिकायत मिली कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के बदले लोग राज्य का गारंटी कानून अपना-अपना बनाने के लिए लिख दिया था। उसका हमने कानून में सुधार कर दिया। सभी राज्यों को कहा, सभी राज्यों ने स्वीकार किया और अब सबसे ऊपर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून मोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है।